न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/377

1. जगदीश गढवाल पुत्र श्री श्योचन्द, जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
2. गंगाधर पुत्र श्री श्योचन्द, जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. पतासी देवी पत्नी श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
4. रामप्रताप पुत्र लिछमन जाट जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
5. रोहिताश पुत्र श्योचन्द जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
6. हेमसिंह पुत्र लिछमन जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौडजी, जिला झुन्झुनू

––रेस्पोडेन्ट

2 निवासी पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
3. शीशराम पुत्र रामनाथ जाति जाट निवासी ग्राम गढवालों का बास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

––तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**
3. **श्री राजेश कुमार शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 07.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि वाके ग्राम गढवालों का बास तहसील गुढागौडजी में स्थित खसरा नम्बर 453, 450, 448, 3384/433 स्थित है जिसमें खसरा नम्बर 3384/433 का अपीलान्ट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खसरा नम्बरान में निकाले जाने रास्ता के सम्बन्ध में खातेदारों को बिना नोटिस दिये दिनांक 23.11.2021 को तहसील व पटवार कार्यालय में बैठकर हल्का पटवारी व गिरदावर से बिना मौका जांच किये मौका स्थिति से विपरित पटवारी हल्का व

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

गिरदावर द्वारा दिनांक 23.11.2021 को मौका रिपोर्ट/प्रस्ताव रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर तहसीलदार द्वारा अपने हस्ताक्षर करके प्रस्ताव प्रक्रिया की पूर्ण की गई कर प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2021 पारित किया है जो विधि–विधान एवं प्राकृतिक न्याय व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्रलेखीय साक्ष्यों के सर्वथा प्रतिकूल होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच नही की गई तथा अपीलान्ट को सूचना व सुनवाई का नोटिस नही दिया गया, न ही मजमेआम का कोई सार्वजनिक नोटिस ही दिया गया एवं गिरदावर हल्का ने भी कोई मौके की जांच नही की, न ही तहसीलदार द्वारा मौके की सत्यता की जांच की गई और प्रोफर्मा में केवल फील इन दा ब्लेक्स भरते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रभावित पक्षकारों को बिना नोटिस दिये, बिना जांच किये ही मात्र पटवारी हल्का व गिरदावर एवं तहसीलदार रिपोर्ट को ही सही मानते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2021 पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2021 को आराजी खसरा नम्बर 3384/433 के सम्बन्ध में अंवैधानिक रूप से रास्ता कायम किया गया को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने भी अपील के तथ्यों का समर्थन करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2021 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रचलित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का द्वारा प्रस्ताव तैयार कर तहसीलदार को प्रस्तुत किये गये है एवं उक्त प्रस्ताव तहसीलदार की रिपोर्ट सहित अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये है जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट इन्द्रपुरा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 3384/433 के रिकार्डेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता।

P.T.O.

सदस्य राजस्व मण्डल
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.12.2021 को अपीलार्थीगण की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।